25000 रुपये 25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790222

23 APR 2005

उ०प्र० स्टाम्प अधिनियम सन् १८९९ की धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्पित-

- विक्रयपत्र तादादी - ४०,००,०००/- [illegible] लाख रुपया

- एक किता मुला [illegible] पिन्सुमल [illegible] नम्बर पुराना १८७६।३ नया २२५८ (पौनी पटवाजन [illegible] मुहाल [illegible] सेक्ट नंबर ५) म्युनिसिपल कारपोरेशन नम्बर २१।२५० [illegible] वार्ड शहर आगरा क्षेत्रफल २०६२ '२७ वर्गफिट अर्थात् १७७६ '३१ वर्गमीटर कि जो संलग्न मानचित्र मे लाल रंग से साफ तौर से दिखाया गया है कि जिसके भाग मे और ५० [illegible] की [illegible] मे [illegible] मय कुल अधिकार मुताल्लिका कि जिसकी नाप व सीमाऐं वह प्रकार-

ATTESTED

Comal [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790223

कोषाध्यक्ष ... 29 APR 2005 ... कोषाधिकारी

-२-

दिशा	नाप	सीमा
पूरब-	१७७ फुट	शेष जमीन बंगला नम्बर बारह द्वितीयपक्ष
पश्चिम-	११२ फुट	शेष जमीन बंगला नम्बर बारह [illegible] दोनों ओर से कोई [illegible] कायम नहीं है
उत्तर-	१७२ फुट	[illegible] १५ फुट चौड़ी इस तरफ [illegible] इस मुकदमा के हैं
दक्षिण-	१७० फुट	जमीन बंगला नम्बर ग्यारह इस तरफ दोनों ओर से कोई हक आसायश कायम नहीं है और न आइन्दा कायम होंगे

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित सर्किल दर
  पटवाहन - ३०००) रुपया प्रति वर्गमीटर
  जीवनीमण्डी - ३०००) रुपया प्रति वर्गमीटर
- उक्त दर के अनुसार इस विक्रय पत्र पर ५२,४८,०००) रुपया पर दस प्रतिशत की दर से ५,२५,०००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-o-o-o-

ATTESTED

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790224

उपकि विनय कुमार पाटनी पुत्र स्व० श्री हीरालाल पाटनी निवासी ४६ लाजपत रोड सदर बाजार छावनी आगरा ---- विक्रेता प्रथमपक्ष

तथा

ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रामनारायण निवासी ४२ माल रोड आगरा छावनी आगरा ---------------- क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष उक्त खुली जमीन म्युनिसिपल बंगला नम्बर बारह, म्युनिसिपल कारपोरेशन नम्बर २१/२७ स्थित [illegible] मौजा [illegible] मुहल्ला [illegible] वार्ड शहर आगरा क्षेत्रफल १७८९.२९ वर्ग मीटर के एकमात्र पूर्णत: मालिक काबिज व रिकॉर्डेड ओनर है। अन्य कोई हिस्सेदार या साझेदार या दखिलकार आदि किसी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष को उक्त भूखण्ड को बेचने आदि से

ATTESTED

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 790225

-3-

रोक सके तथा उक्त भूखण्ड आज तक प्रत्येक प्रकार के भार-विक्रय-दान-जमानत-रहन-दावे-झगड़े-रोक-सम्पर्पण-सड़क के विवाद आदि-आदि से बरी पाक व साफ है तथा उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्था का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद मे अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अध्यर्पित हुआ है और न कोई प्रतिकर प्रपत्र या अन्न प्राप्त किया है और उसकी मिलकियत के कोई कागजात किसी भी आढ़ या जमानत आदि मे नहीं दिये गये हैं।

Om Prakash Agarwal

ATTESTED

Comal Singh ...
Notary

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

कैलाश नाथ
29 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

03DD 790226

विदित हो कि [illegible] मे मौजा घटवासन मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा की कुछ आराजियात पर जौन्स स्पिनिंग मिल, कॉटन स्पिनिंग मिल, ओरियन्टल स्पिनिंग मिल, जौन्स प्रिन्सेज ऑफ वेल्स स्पिनिंग मिल्स एवं [illegible] फिलौर मिल सन् १९०९ से मैसर्स एच जौन्स एण्ड कम्पनी [illegible] संचालित किये जा रहे थे। इस कम्पनी के मालिकान [illegible] जौन्स नाइट, जौर्ज स्थानी [illegible] जौन्स एवं हैनरी [illegible] थे। उपरोक्त मिलों के कारोबार हेतु आउट हाउसेज, लेबर क्वार्टर्स भी उपरोक्त जमीनों पर उपरोक्त कम्पनी ने बनाये। कम्पनी की सम्पूर्ण सम्पत्ति [illegible] है। जिस पर [illegible] एक्ट १९३८ के प्राविधान लागू हैं।

[illegible]

25000

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790227

[illegible]

29 APR 2005

[illegible] कोषाधिकारी

-६-

विदित हो कि सन् १९२० में मै० ए० जोन्स एण्ड कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों के एक अन्य फर्म मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० अधिग्रहित कर ली और इस आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० ने अधिग्रहण के रूप में स्थाई लीज के हिस्सेदार (लेसीज) मै० ए० जोन्स एण्ड कम्पनी के मालिकानों को जारी किये। इन लीजेदारों के बाबत दोनों कम्पनियों के बीच २०-८-१९२० को सैटिलमेन्ट डीड निष्पादित हुई। उसकी [illegible] अधीन मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० द्वारा किया गया। तदनुसार एक दावा संख्या ५१२७ माननीय सिविल जज आगरा के यहाँ दाखिल हुआ। जिसमे वादी डिग्री दिनांक १०-६-१९३१

कैलाश नाथ
28 APR 2005
कोषाधिकारी
आगरा

03DD 790228

को मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स के विरुद्ध दाखिल की । उपरोक्त डि
के निष्पादन में इजराय सं० २०७।३१ दाखिल हुई । जिसमें हीरा लाल
पाटनी एवं मुन्नीलाल मेहरा रिसीवर नियुक्त हुये जिन्होंने आगरा
यूनाइटेड मिल्स लि० की सम्पत्तियों की नीलामी की । नीलामी में
उपरोक्त जोन्स बंधुओं ने ही सम्पत्तियां खरीद लीं । खरीदी हुई सम्प
में मिजर रूम्धीनी यूलाइसिस जोन्स का हिस्सा ६।२० था ।

Prabodh Agarwal

ATTESTED

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790229

विदित हो कि मेजर इन्थोनी थूलाइसिस जोन्स ने आ
सम्पूर्ण सम्पत्तियों के बाबत एक वसीयत दिनांकित २०-३-१९३९
निष्पादित की माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उपरोक्त वसीयत
पर मि० विल्फ्रेड आस्ट्रेलियन किराजी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया।
इन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मेजर इन्थोनी थूलाइसिस जोन की सम्पत्ति
के १६।४० हिस्सा के बेचने का सौदा पुन्नीलाल मेहरा एवं हीरालाल
माटनी के पक्ष में एक पंजीकृत डीड दिनांकित २०-१०-१९४५ द्वारा कि
जिसमें इन दोनों व्यक्तियों ने उन्नीस लाख रुपया उपरोक्त सौदे के
संदर्भ में जमा किये इस पंजीकृत डीड को सेल डीड।एसाइनमेंट डीड
दोनों क्रेताओं ने उपभाग एवं माना।

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790230

विदित हो कि श्रीमान [illegible] सिविल जज आगरा महोदय के यहाँ मैसर्स [illegible] सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पार्टीशन का वाद संख्या ३१/७० [illegible] आदि बनाम [illegible] आदि चलाया गया था। उपरोक्त मुकदमे में [illegible] [illegible] उपरोक्त क्रेतागण यानि हीरा लाल पाटनी को मुख्तारनामा [illegible] पंजीकृत डीड दिनांकित २६-१०-८६ के आधार पर उपरोक्त मुकदमा संख्या ३१/७० में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिया और दिनांक १६-९-८७ को सिविल जज आगरा ने मंजूर किया। उपरोक्त मुकदमे में अंतिम डिक्री पारित हुई कमिश्नर आख्या [illegible] सिविल जज महोदय ने अनुमोदित की। कमिश्नर आख्या के अनुसार हीरालाल पाटनी को पीछे का भाग हिस्सा [illegible] मिश्रा को दिये गये वाला हिस्सा दिया गया।

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 79023 F

कैलाश नाथ
29 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

विदित हो, कि प्रापर्टी जिसका मुकदमा संख्या ३१४० है हीरालाल पाटनी को जो पीछे से आला हिस्सा बटवारे में मिला हिस्से में अन्य जायदादों के इलावा कोठी नम्बर ८ लायद १३ भी शामिल है । ये कोठी हैंड नम्बर ४ खसरा संख्या १७३६।३ रकबा ४ बीघा सात बिस्वा मुहाल [illegible] ग्राम पटवासन परगना व तहसील जिला आगरा की जमीन पर स्थित है । जिसका वर्तमान नगर निगम नम्बर २९।२०० है । खसरा संख्या १७३६।३ का पुराना नं० २२५८ उपरोक्त कोठी मौजा पटवासन यानि दीवानीपड़ी हल्का वार्ड जाग में स्थित है । हीरालाल पाटनी का स्वर्गवास दिनांक ५-१२-१९६१ को हुआ उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती प्यारीबाई पाटनी एवं पुत्रगण निर्मल कुमार पाटनी - विमल कुमार पाटनी - विनयकुमार पाटनी और उत्तराधिकारी छोड़े । इन उत्तराधिकारियों ने अपनी

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790232

29 [illegible] 2003

उप निबंधन अधिकारी

-१२-

अन्य सम्पत्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त [illegible] के बाबत दिसम्बर १९८९ में एक आपसदारी पारिवारिक समझौता मौखिक पारस्परिक रूप से निर्धारित किया। उस पारस्परिक समझौते के अनुसार खाता नंबर १२ किता [illegible] के अपने आवंटित हुआ है, वही उस पर बतौर मालिक [illegible] है। उल्लेखनीय है कि खाता नं० ११ और [illegible] श्रीमान [illegible] कुमार [illegible] के हक मे आया। दिनांक २९-११-२००३ को पंजीकृत [illegible] श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तमदास अग्रवाल के हक में किया जा चुका है जोकि [illegible] के नाम से मशहूर।

Attested

Dist. Notary Agra

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

कोषागार आगरा

23-2-2005

कोषाधिकारी

0300 790233

विदित हो कि विक्रेता विनय कुमार चाटनी ने बंगला नम्बर १२ की भूमि करीब ८०० वर्गगज का बैनामा दिनांक २३-२-२००४ को श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तमदास अग्रवाल निवासी एफ-८/१ [illegible] आगरा में निष्पादित कर दिया है। अतः विनय कुमार चाटनी उक्त प्रश्नगत भूमि का बैनामा को श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित करने के लिये विधिक रूप से सक्षम हैं।

Prakash Agarwal

ATTESTED

Kamal Singh Verma
Distt Notary, Agra
Reg 09-44 07

25000 रुपये

इण्डिया नॉन ज्यूडिशियल

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790234

28 APR 2000
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

५. विदित हो कि प्रथमपक्ष को अपनी उक्त खुली जमीन क्षेत्रफल १०८६.२१ वर्गमीटर, जिसे संलग्न मानचित्र में रंग लाल से दिखाई गई है, से कोई विशेष लाभ नहीं है और वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण अपनी उक्त खुली जमीन को बाजार

ATTESTED

Kamal Singh Verma
Notary, Agra
09 44 01

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

-१४-

0300 790235

कैलाश नाथ

25 APR 2001

अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते है इस सम्बंध में प्रथमपक्ष के द्वारा काफी प्रयास किये जाने पर बाजार में केवल द्वितीयपक्ष अपने लिये उपयोगी मानकर आज ( ) अन्य खरीददारों की अपेक्षा सबसे अधिक कीमत देने जा रहे है जिससे प्रथमपक्ष का पूरा-पूरा लाभ है । अतः प्रथमपक्ष अपनी उक्त कृषि भूमि को द्वितीयपक्ष के हक में बेचने को तैयार है।

Kamal Singh Verma
Civil Notary, Agra
Reg. 09 44 07

RUPEES
25000
रुपये

RUPEES
25000

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES
25000

नाथ

2005

अधिकारी

03DD 790236

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त व बुद्धि होश के बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझ कर उक्त भूमि जमीन के समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन व प्रकार का निर्धारण के अधिकारी सहित बिना छोड़े कि

Prakash Agarwal

Kamal Singh Verma
Notary, Agra

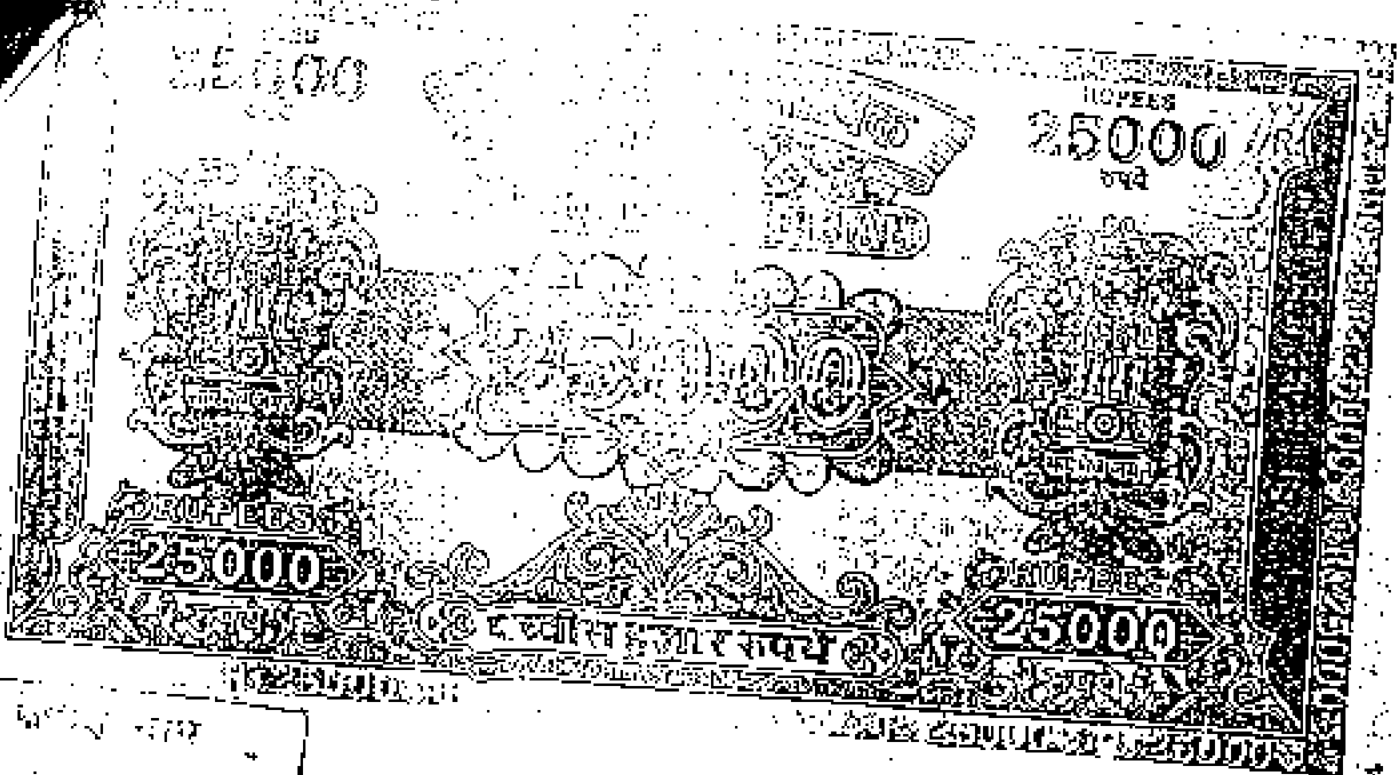

030D 790237

29 ... 2005
कोषाधिकारी

- ३६ -

अधिकार आदि के बाजारी कीमत है विमुक्ति व रकम ४०,००,००० (चालीस लाख रुपया) कि आधे जिसके बीस लाख रुपया होते हैं बदस्त श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री राजाराम निवासी ४२ गाफ रोड आगरा छावनी उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष के गुड टाइटिल से बैय स्वाह की और बेच दी।

Om Prakash Agarwal

-१८-

03DD 790238

प्रथमपक्ष ने [illegible] की कुल रुपया द्वारा तीन बिला [illegible] ओरियन्टल बैंक सीताराम मार्केट बेलनगंज आगरा की [illegible] ००२१०७ दिनांक ८-३-२००५ तादादी २,५०,००० रुपया [illegible] ००३२५४ दिनांक ८-३-२००५ तादादी १०,००,०००) [illegible] ०८४९२३ दिनांक ३०-४-२००५ तादादी २०,५०,०००) रुपया [illegible] किशन कुमार पाटनी दस्तखत ओम प्रकाश [illegible] बैनामा [illegible] के [illegible] से वसूल पाना स्वीकार किया इस तरह प्रथमपक्ष का अब कोई रुपया

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

... नाथ

28 ... 2005

मुख्य कोषाधिकारी

03OD 790239

पाना बाकी नहीं है और न भविष्य में होगा । प्रथमपक्ष ने बेची गई जमीन पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर नाप व सीमाओं के अनुसार द्वितीयपक्ष का कब्जा व दखल करा दिया और द्वितीयपक्ष को बेची गई जमीन का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा गुड टाइटिल दे दिया । अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 790240

29 APR 2005

मुख्य कोषाधिकारी

-१८-

लिमि. ने बतौरियत मालिक व काबिज है चाहे जैसे लाभ उठावे कब्-
जिल आदि करे और निर्माण आदि कराये और चाहे जिस तौर
इस्तेमाल में लावे और उसका नामांकन बेची गई जायदाद का पृथक कर
निर्धारण सम्बन्धित विभागों में कराले प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान

Mahabal Agarwal

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

0300 790241

करेंगे । आज तक के कुल बकाया टैक्स-चार्ज आदि यदि कोई होंगे तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] के अभी कोई दावेदार किसी प्रकार का [illegible] [illegible] [illegible] कोई झगड़ा व फगड़ा विक्रयपत्र से करे और उसे [illegible] या [illegible] के डिफेक्टिव टायटिल से अथवा या दस्त या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से बेची गई जमीन का विक्रय पत्र से [illegible] तो उन सब की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना [illegible] [illegible] हम व हमारे वारसों के व जिम्मे जात खास व

INDIA NON JUDICIAL

5000Rs

५000रु

Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

केदार नाथ

25 APR 2008

जायदाद पर विरान प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष के है और आयंदा होगा और उनके प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कभी कुछ उजर न होगा। उक्त जमीन बिल्कुल खाली है और उस पर न तो कोई निर्माण है और न प्रथमपक्ष के द्वारा बनाकर दिये जाने है। इस बैनामा का कुल खर्चा द्वितीयपक्ष के जिम्मे है।

Prakash Agarwal

Sub Registrar
Agra

5000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-२३-

[illegible] के अधिकृत हस्ताक्षरित संख्या इस प्रकार है –

[illegible] कुमार [illegible] पी-४२११-तथा

[illegible] अग्रवाल – ए ए डी पी ए-८२८८-[illegible]

नोट– [illegible] (१७७८ [illegible] ३१) [illegible] है जो मंजूर है।

[illegible] Prakash Agarwal

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपए FIVE THOUSAND RUPEES

अतः यह बैनामा [illegible] के लिए दिया कि [illegible] आप [illegible] की सदर २ मे पोखपाल सं १७८६ "३१ [illegible] १२ की सदर ५ मे (पीटनी [illegible] को इसकी मंजूर है।

दिनांक- ३०(तीस) अप्रैल सन् २००५ई.

ATTESTED

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

कैलाश नाथ
29 APR 2005
[illegible] कोषाधिकारी

[illegible] – पं० [illegible] निवासी [illegible] आगरा।
[illegible] पूरनचन्द [illegible] आगरा।

[illegible]

Roop Chand Jain
S/o Sh. [illegible]
[illegible] Rohini

[illegible] Prakash Agarwal

SITE PLAN OF LAND PART OF PROP. No. 21/270 AT JIWANI MANDI CHHATTA WARD AGRA
OWNER:- SRI VINAY KUMAR PATNI
SOLD TO:- SRI OM PRAKASH AGARWAL
SHOWN IN RED COLOUR.
AREA = 1749.31 SQM.

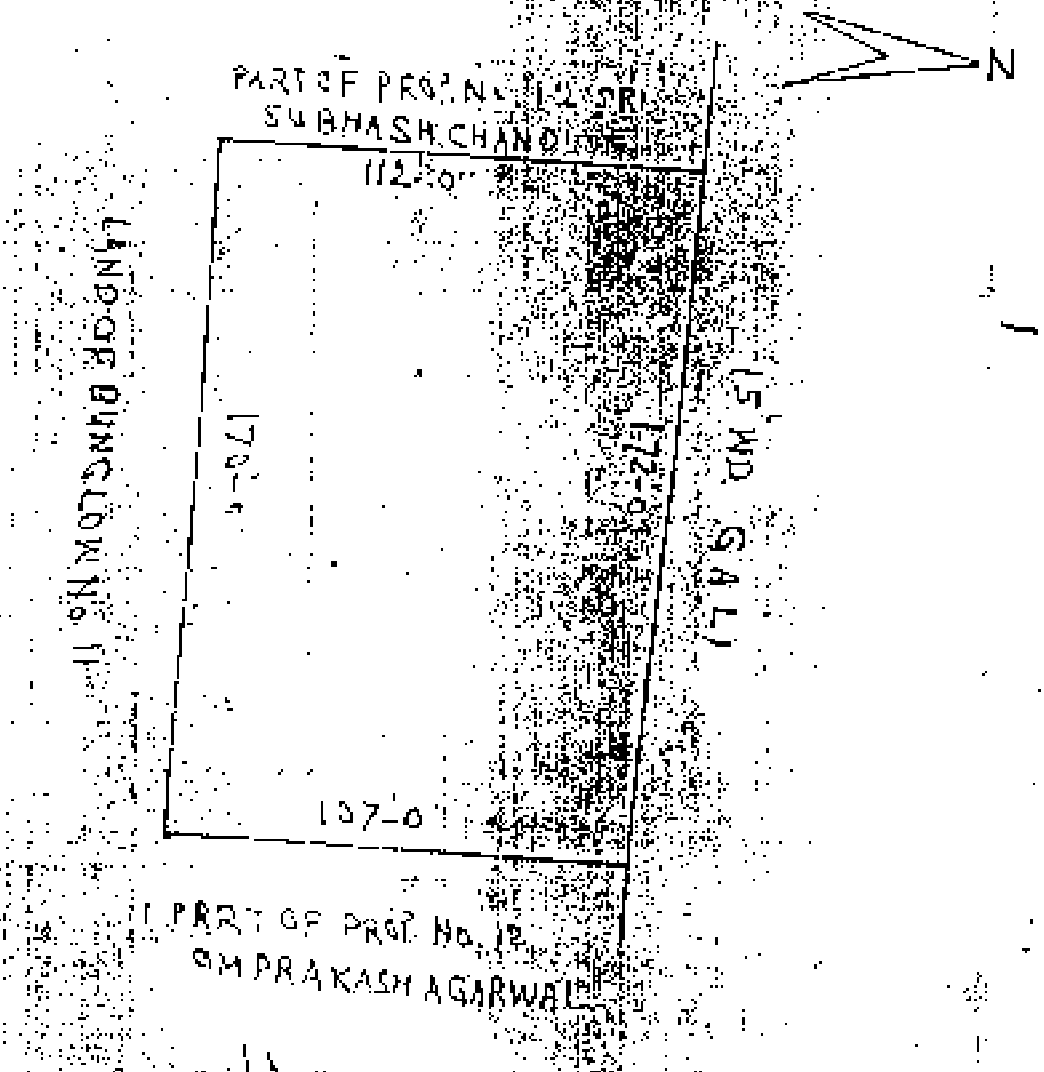

TRACED BY

...UKESH CHAND
Surveyor/D. Man
Kundu Katra, AGRA

ORIGINAL